सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

कोविड-19:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कार्यस्थल पर मानक संचलन प्रक्रिया

उद्देश्य

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कर्मचारियों एवं कार्मिको के बीच कोविड-19 के प्रसार को रोकने के साथ साथ व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करना ताकि उनकी आजिविका प्रभावित न हो।

सफाई और शुद्धिकरण

निम्नलिखित परिसरों में सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से रोगाणुमुक्त किया जाएगा:

- भवन, कार्यालय आदि के प्रवेश द्वार।
- कैफेटेरिया और कैंटीन।
- बैठक कक्ष, उपलब्ध खुले क्षेत्र / बरामदा / स्थल प्रवेश द्वार, भवन के कमरे आदि।
- उपकरण और लिफ्ट
- वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक, वॉटर पॉइंट आदि।
- दीवारें / सभी अन्य धरातल

नए सामान्य

परिवहन सुविधाएं

- बाहर से आने वाले कामगारों के लिए, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर निर्भर रहे बिना विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केवल 30-40% यात्री क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहन और मशीनरी को अनिवार्य रूप से रोगाणुमुक्त स्प्रे किया जाना चाहिए।

कार्यक्षेत्र उपाय

- स्पर्श मुक्त तंत्र के साथ सभी प्रवेश और निकास पॉइंटों और सामान्य क्षेत्रों में हाथ धोने और सैनिटाइज़र के लिए सभी प्रावधान किये जायेंगे। सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए।
- कार्यस्थल पर प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य।
- गुटखा, तम्बाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना पूर्णतः निषिद्ध होना चाहिए।

सामाजिक दूरी

- कार्य स्थलों पर शिफ्टों के बीच एक घंटे का अंतराल होगा और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए स्टाफ का लंच ब्रेक आगे पीछे किया जायेगा।
- 10 या अधिक लोगों की बड़ी सभाओं या बैठकों को हतोत्साहित करना।
- रोज़गार स्थलों और सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में दूसरों से कम से कम 6 फीट दूर बैठें।
- 2/4 से अधिक व्यक्तियों (आकार पर निर्भर करते हुए) को लिफ्टों या होइसट्स में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
- ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए
- साइटों पर गैर-अनावश्यक आगंतुकों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।

नए सामान्य

चिकित्सा सुविधाएं

नए सामान्य

- कामगारों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाए।
- आस-पास के क्षेत्रों में अस्पताल / क्लीनिक, जो कोविड -19 के मरीज़ों के इलाज के लिए अधिकृत किये हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए और कार्य स्थल पर हर समय सूची उपलब्ध होनी चाहिए।

कामगारों की सुरक्षा के उपाय

- कामगारों को कार्यस्थल पर निरंतर मास्क पहनना चाहिए।
- कामगारों को एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर का अंतर बनाए रखना चाहिए
- कामगारों को संपर्क से बचने के लिए अलग से लंच ब्रेक लेना चाहिए
- कामगारों को नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने चाहिए और अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए
- यदि किसी कामगार में लक्षण विकसित होते हैं या बीमार पड़ता है तो इसकी सूचना तुरंत नजदीक के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए।
- कामगार और उनका परिवार कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए 'आरोग्य सेतु' ऐप डाउनलोड करें।

Aarogya Setu

मैं सुरक्षित | हम सुरक्षित | भारत सुरक्षित

नए सामान्य

यदि कोई भी कर्मचारी बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण विकसित करता है - तो इसे तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या मान्यता प्राप्त कोविड 19 केंद्र को सूचित किया जाना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए,
कृपया गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया
दिशा-निर्देश देखें
दिनांक 15 अप्रैल, 2020 (No. 40-3/2020-DM-I(A)